

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
17.5.17	<p style="text-align: center;">न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया</p> <p style="text-align: center;">नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं० – 23/2014-15</p> <p>अरविन्द कुमार सिंह व अरूण कुमार सिंह, पिता-राजेन्द्र प्रसाद सिंह, सा०-बगुलाहा, टोला-घरबंधा, थाना-रानीगंज, जिला-अररिया – पुनरीक्षणकर्ता</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p>रविन्द्र कुमार सिंह व कविन्द्र कुमार सिंह व किशोर कुमार सिंह, सभी पिता-उपेन्द्र प्र० सिंह, सा०-बगुलाहा, टोला-घरबंधा, थाना-रानीगंज, जिला-अररिया – विपक्षीगण</p> <p style="text-align: center;">संशोधित आदेश</p> <p>विपक्षी रविन्द्र कुमार सिंह की ओर से अंदर धारा 152 सी०पी०सी० के तहत आवेदन पत्र दाखिल किया गया है कि नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं० 23/2014-15 में दिनांक 11.04.2017 को पारित आदेश के पृष्ठ सं० 3 पर दिवानी वाद सं० 149/233/2015 के स्थान पर लिपिकिय भूलवश 1491/233/2015 अंकित हो गया है, जिसके स्थान पर 149/233/2015 अंकित करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>अभिलेख का अवलोकन किया। साथ ही संलग्न दिवानी वाद सं० 149/233/2015 का अवलोकन किया। अतः पारित आदेश दिनांक 11.04.2017 के पृष्ठ सं० 3 पर अंकित 1491/233/2015 जो लिपिकिय भूलवश अंकित हो गई है, के स्थान पर 149/233/2015 संशोधित किया जाता है।</p> <p>पारित आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता अररिया/अंचल अधिकारी, रानीगंज को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>हस्ताक्षर अपर समाहर्ता अररिया</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>हस्ताक्षर अपर समाहर्ता अररिया</p> </div> </div> <p>ज्ञापांक 57 / सा०(न्या०), अररिया, दिनांक 17/05/2017</p> <p>प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।</p> <p>प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, रानीगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>हस्ताक्षर अपर समाहर्ता अररिया</p> </div>	